हमें सम्पर्क करें

फोन: 1300 88 22 33 या (03) 9298 4598

अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में बात करने के लिए हमारी टेलीफोन दुभाषिया सेवा (Telephone Interpreter Service - TIS) को 131 450 पर फोन करें।

सेवा केन्द्र

- Realm, Ringwood Town Square, 179 Maroondah Highway (Ringwood स्टेशन के सामने)
- Croydon सेवा केन्द्र: Civic Square, Croydon

आपकी काउंसिल और सिटीजनशिप (नागरिकता)

आपके काउंसलर (पार्षद)

Maroondah में नौ वार्ड आते हैं: Arrabri, Mullum और Wyreena।

यहाँ नौ पार्षद हैं, इनमें मेयर और डिप्टी मेयर शामिल हैं, जो Maroondah समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए हैं।

- **Barngeong Ward -** Marijke Graham
- **Bungalook Ward** - Tony Dib
- **Jubilee Ward** - Mike Symon
- **McAlpin Ward** - Suzanne Stojanovic
- **Tarralla Ward -** Paul Macdonald
- **Wicklow Ward -** Tasa Damante
- **Wombolano Ward** - Kylie Spears
- **Wonga Ward**-Nora Lamont
- **Yarrunga Ward -** Rob Steane

नागरिकता

आप ऑनलाइन आवेदन करके या काउंसिल के सेवा केंद्रों में उपलब्ध आवेदन पत्र को भर कर आस्ट्रेलिया के नागरिक बनने का आवेदन कर सकते/सकती हैं।

लिंक: http://www.citizenship.gov.au/

Maroondah में प्रतिवर्ष लगभग पांच सिटीजनशिप सेरेमनी (नागरिकता समारोहों) का आयोजन किया जाता है। ये समारोह आस्ट्रेलियाई नागरिकता कानून के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और City of Maroondah को अपने नए नागरिकों का औपचारिक रूप से स्वागत करने का अवसर प्रदान करते हैं।

इस समारोह में आप आस्ट्रेलियाई नागरिकता की शपथ लेंगे और एक स्वागत उपहार के रूप में एक प्रमाणपत्र और एक पौधा प्राप्त करेंगे।

भविष्य में आयोजित किए जाने वाले समारोहों की तिथियाँ इस लिंक पर जाकर देखें:

http://www.maroondah.vic.gov.au/citizenship.aspx

समुदाय और स्वास्थ्य

मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ (मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य)

मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ सेवा एक मुफ्त सेवा है जो परिवारों को सूचना, सलाह, आकलन, सुझाव, और अपने बच्चों की देखभाल के लिए व्यक्तिगत सहायता प्रदान करती है। हम निम्नलिखित प्रदान करते हैं:

- आकलन
- स्तनपान संबंधी सूचना
- पहली बार माता-पिता बनने वाले लोगों के समूह
- अभिभावक शिक्षा
- टीकाकरण संबंधी जानकारी
- पौषण संबंधी सलाह
- स्लीप स्कूल
- नर्सरी फर्नीचर (पात्र परिवारों के लिए कोट्स और कार सीटें)।

काउंसिल आपके साथ कार्यक्रम या सत्र में भाग लेने के लिए किसी दुभाषिए की व्यवस्था कर सकती है।

कार्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, Maroondah की मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ टीम को 9294 5777 पर फोन करें।

मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सें

आपकी संतान के जन्म के बाद मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्स टेलीफोन पर आपसे सम्पर्क करेगी ताकि घर पर आकर आपसे मिलने की व्यवस्था की जा सके। अपॉइंटमेट बुक करके वर्तमान में केंद्र में आया जा सकता है।
सभी अपॉइंटमेंटों पर अपनी संतान की *चाइल्ड हेल्थ रिकार्ड बुक* को लाना याद रखें क्योंकि इसमें आपकी संतान के स्वास्थ्य के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं।
टीकाकरण शेड्यूल अपनी मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्स से प्राप्त किए जा सकते हैं।
नवजात शिशुओं से लेकर स्कूली आयु वाले बच्चों के परिवारों के लिए 24-घंटे की मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ सेवा उपलब्ध है। इस सेवा को प्राप्त करने के लिए कृपया 13 22 29 पर फोन करें।

मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ से जुड़ी अनुवाद की गई जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.education.vic.gov.au/childhood/professionals/health/Pages/translatedresources.aspx

युवा

हम 10 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं की स्कूल, नौकरी ढूँढने, पारिवारिक समस्याओं और समुदाय में शामिल होने जैसे क्षेत्रों में सहायता कर सकते हैं।

यदि आपको लगता है कि आपको किसी से बात करने की आवश्यकता है, तो आप 9294 5704 पर कार्यालय समय (सुबह 8.30 बजे से लेकर सांय 5 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार) के दौरान Maroondah युवा टीम कर्मी से बात कर सकते/सकती हैं।

आप बृहस्पतिवार को EV के यूथ सेंटर हैंगआउट में आ सकते/सकती हैं और पूल, प्ले स्टेशन, गेम्स खेल सकते/सकती हैं, संगीत सुन सकते/सकती हैं और मुफ्त wifi के साथ लेपटॉप का प्रयोग कर सकते/सकती हैं या एक यूथ वर्कर से बात कर सकते/सकती हैं।

हम युवाओं के लिए सहायता का पता लगाने में माता-पिता और देखरेखकर्ताओं की भी मदद कर सकते/सकती हैं।

अन्य युवा सेवा कार्यक्रमों में शामिल हैं:

Maroondah L2P कार्यक्रम (लर्नर ड्राइविंग अनुभव के लिए)
यह मुफ्त कार्यक्रम Maroondah में रहने वाले 16 से 20 वर्ष की आयु के युवाओं की 120 घण्टे का ड्राइविंग अभ्यास प्राप्त करने में सहायता करता है ताकि उन्हें लर्नर्स ड्राइवर्स लाइसेंस मिल सके।

स्वयंसेवी और कार्य अनुभव के अवसर
Maroondah सिटी काउंसिल में कार्य अनुभव, स्टूडेंट प्लेसमेंट और स्वयंसेवी अवसर उपलब्ध हैं।

स्वयंसेवी और कार्य अनुभव अवसरों के बारे में और अधिक जानकारी लें:

https://maroondahjobs.nga.net.au/cp/index.cfm

वृद्ध और विकलांगता सेवाएँ

वृद्ध
हमारे यहाँ दुर्बल वृद्ध लोगों और उनके देखरेखकर्ताओं की सहायता करने के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध हैं।

हम आपकी दैनिक कार्य करने और स्वतंत्र बने रहने व अपने खुद के घर और समुदाय में लम्बे समय तक रहने में सहायता कर सकते हैं।

प्रदान की जाने वाली सेवाओं में निम्न शामिल हैं:

- **भोजन सेवाएँ** (डिलीवर किया जाने वाला भोजन)
- **घरेलू सहायता** (सामान्य साफ-सफाई और शॉपिंग (किसी सूची से) और या सामान्य भोजन बनाना)
- **व्यक्तिगत देखरेख** (स्नान कराना, कपड़े पहनाना या साज-श्रृंगार)
- **व्यक्तियों के लिए सामाजिक सहायता** (गतिविधियों में साथ जाना, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स में साथ जाना)
- **राहत देखरेख** (देखरेखकर्ताओं को विराम देना)
- **संपत्ति का रखरखाव** (घर के मामूली व सामान्य रखरखाव कार्य)
- **व्यवसायिक चिकित्सा** (सुरक्षा आकलन, आपके घर में उपकरण का ट्रायल)
- **घर में संशोधन कार्य** (पहुँच प्राप्त करने के लिए रैम्पस और शॉवर रेल्स)
- **सामाजिक समूह** (सामूहिक गतिविधियाँ, अतिथि वक्ता, मनोरंजनकर्ता)
- **सामाजिक समावेश** (मासिक तौर पर सैर-सपाटा, स्थानीय लाइब्रेरियों और शॉपिंग सेंटर में जाना)

फीस निम्न पर आधारित होती है:

- आपके लिए ज़रूरी सेवा
- आपकी आय

- भुगतान करने की आपकी क्षमता (यदि आपका आकलन भुगतान करने की क्षमता का न होना किया जाता है, तो भी सेवाएँ प्रस्तुत की जाएँगी)।.

इन सेवाओं को प्राप्त करने और यह पता लगाने के लिए कि क्या आप पात्र हैं, आप **1800 836 799** पर फोन कर सकते/सकती हैं या My Aged Care वेबसाइट देखें:

http://www.myagedcare.gov.au

विकलांगता से पीड़ित युवा

हम उन युवा विकलांग लोगों को सहायता प्रदान करते हैं जिनकी स्वतंत्र रूप से रहने की क्षमता को खतरा होता है। ये सेवाएं औसतन, गंभीर और पूरी तरह से विकलांग युवाओं के लिए हैं और इनका उद्देश्य स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता को बढावा देना है।

प्रदान की जाने वाली सेवाओं में निम्न शामिल हैं:

- स्नान कराना और कपड़े पहनाना
- भोजन बनाना
- व्यवसायिक चिकित्सा
- सुरक्षित घरेलू परिसर का निर्माण करना।

फीस निम्न पर आधारित होती है:

- आपके लिए ज़रूरी सेवा
- आपकी आय
- भुगतान करने की आपकी क्षमता (यदि आपका आकलन भुगतान करने की क्षमता का न होना किया जाता है, तो भी सेवाएँ प्रस्तुत की जाएँगी)।.

इन सेवाओं को प्राप्त करने और यह पता लगाने के लिए कि क्या आप पात्र हैं, कृपया **9294 5729** पर फोन करें।

विकलांग पार्किंग परमिट

यदि आप विकलांग हैं तो आप एक विशेष पार्किंग बे में पार्क करने के लिए या एक सामान्य पार्किंग बे में लम्बे समय तक पार्किंग करने के लिए परमिट का आवेदन कर सकते/सकती हैं।

परमिट की दो श्रेणियाँ हैं:

ब्लू (पहली श्रेणी) परमिट

शारीरिक विकलांगता या गंभीर बौद्धिक विकलांगता से ग्रस्त लोगों के लिए यह परमिट आपको एक विकलांग पार्किंग स्थल पर पार्क करने की अनुमति प्रदान करता है।

ग्रीन (दूसरी श्रेणी) परमिट

निरंतर आराम की आवश्यकता वाले विकलांग लोगों के लिए, लेकिन जिन्हें वाहन को अंदर ले जाने और बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता नहीं है, यह परमिट दोगुने समय के लिए एक सामान्य पार्किंग स्थल पर पार्क करने की अनुमति प्रदान करता है।

परमिट का आवेदन करते समय, यह ज़रूरी है कि आपका आवेदन किसी डॉक्टर द्वारा भी पूरा किया जाए।

टीकाकरण

टीकाकरण संक्रामक रोगों से लोगों सुरक्षा प्रदान करने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है।

काउंसिल एक मुफ्त टीकाकरण सेवा का संचालन करती है जो 10 वर्ष से कम आयु के और कुछ पात्र वयस्कों के लिए उपलब्ध है। आप टीकाकरण के लिए पात्र वयस्क हैं या नहीं ,यह जानने के लिए टीकाकरण टीम से **1300 88 22 33** पर सम्पर्क करें।

आप इस वेबसाइट पर उपलब्ध टीकों की सूची देख सकते/सकती हैं:

https://www.maroondah.vic.gov.au/Immunisation

यदि आप हाल ही में आस्ट्रेलिया में आए/आई हैं, तो हम यह जांच कर सकते हैं कि क्या आपकी संतान का टीकाकरण आस्ट्रेलियाई टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण हो चुका है या नहीं।

यदि आपकी संतान को शेष टीकाकरण की आवश्यकता है, तो हम आपके लिए एक शेड्यूल बनाने में सहायता कर सकते हैं ताकि इसमें वे टीकें शामिल किए जा सकें जो शायद आपकी संतान को न लगे हों।

यदि अपनी संताने की टीकाकरण स्थिति के कारण आपको Centrelink के साथ कोई समस्याएँ पेश आ रही हैं, तो हम यह जांच कर सकते/सकती हैं कि क्या आपकी संतान ऑस्ट्रेलियाई टीकाकरण रजिस्टर के अनुसार अप-टू-डेट है या नहीं।

Maroondah में टीककरण से सम्बन्धित और अधिक जानकारी के लिए, **1300 88 22 33** पर फोन करें।

विश्राम सुविधाएँ

Maroondah में विभिन्न प्रकार की विश्राम सुविधाएँ उपलब्ध हैं:

- एक्वानेशन (जिम, पूल, ग्रुप फिटनेस)
- एक्वाहब (जिम, पूल, ग्रुप फिटनेस)
- Croydon मेमोरियल पूल (पूल)
- डोरसेट गोल्फ (गोल्फ)
- Ringwood गोल्फ (गोल्फ)
- द रिंग्स (इनडोर स्टेडियम)
- Maroondah नेट्स

स्विमिंग लैसन

एक्वानेशन और एक्वाहब में बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए तैराकी में लेसन उपलब्ध हैं। ये लेसन सभी आयु समूहों और क्षमताओं के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इनमें नौसिखिओं, औसत दर्जे और एडवांस दर्जे के तैराकों के लिए कक्षाएं उपलब्ध हैं।

सदस्यताएँ

Maroondah Leisure में विभिन्न प्रकार के सदस्यता विकल्प उपलब्ध हैं।

वेबसाइट https://www.maroondahleisure.com.au/Memberships पर और अधिक जानकारी देखें। कैजुअल आधार पर Maroondah विश्राम केंद्र में ग्राहकों का स्वागत है, लेकिन कैजुअल फीस लागू होगी।

सदस्यता और कैजुअल दरों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए केन्द्रों को फोन करें:

- **एक्वानेशन**: 9298 4600
- **एक्वाहब**: 9294 5500
- **Croydon मेमोरियल पूल**: 9294 5630
- **Ringwood गोल्फ**: 9298 4500
- **डोरसेट गोल्फ**: 9294 5555
- **द रिंग्स**: 9298 4487
- Maroondah नेट्स: 9298 4535

आपकी घर और प्रापर्टी (संपत्ति)

पशु

पशु रजिस्ट्रेशन

3 महीने की आयु तक सभी कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन काउंसिल के साथ हो जाना चाहिए। आप अपने पालतू पशु को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते/सकती हैं, या व्यक्तिगत रूप से काउंसिल के सेवा केंद्रों में जाकर रजिस्टर कर सकते/सकती हैं। पशुओं के पंजीकरण के लिए शुल्क पशुओं के आधार पर भिन्न भिन्न हैं।

यदि आप अपने पालतू पशु को रजिस्टर नहीं करते/करती हैं, तो आपको जुर्माना लग सकता है।

पालतू पशुओं की स्वीकृत संख्या

आप अपनी सम्पत्ति में कितने पालतू पशु रख सकते हैं, इससे सम्बन्धित नियम हैं।
यदि आपके पास दो से अधिक कुत्ते और/या 2 बिल्लियां हैं, तो आपको परमिट की आवश्यकता हो सकती है।
Maroondah में एक मानक आवासीय संपत्ति में निम्न पशु रखने की अनुमति नहीं है:

- मुरगा
- बड़ा पक्षी
- घोड़ा
- गधा
- गाय-बैल
- भेड़
- बकरी
- सूअर
- फार्म में रखा जाने वाला कोई अन्य पशु।

बाहरी क्षेत्र में आग और सामान जलाना

आपको निम्न परिस्थितियों में बाहरी क्षेत्र में आग लगाने की अनुमति है:

- मानव सेवन के लिए भोजन बनाने में प्रयोग किया जाने वाला बार्बेक्यू हो, और
- बाहरी हीटिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले उचित रूप से निर्मित सुरक्षित उपकरण हो, और
- यह उचित रूप से स्थित और प्रबंधित हो और इससे आस-पड़ोस की संपत्तियों को परेशानी न हो रही हो।

यदि बाहरी क्षेत्र में लगाई जाने वाली आग उपरोक्त मानदण्ड के अनुरूप नहीं है, तो इसकी अनुमति नहीं है।

सामान जलाना

आपकी सम्पत्ति में सामान जलाना वर्जित है बर्शते आपकी संपत्ति का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर (1 हेक्टेयर) से अधिक है। कुछ भी जलाने के लिए आपको पहले अनुमति लेने के लिए आवेदन करना होगा। बिना परमिट के सामान जलाने पर अधिकतम जुर्माना 2,000 डालर है।

कूड़ा-करकट संग्रहण

कचरे को इकट्ठा करना

प्रत्येक सप्ताह आपके कचरे को नेचरस्ट्रिप से संग्रहित किया जाता है और रिसाइकल किए जाने वाले पदार्थों तथा भोजन और बगीचे के जैविक पदार्थों को हरेक दो सप्ताह बाद इकट्ठा किया जाता है।

कचरे के लिए बिन (लाल ढक्कन)

स्वीकृत वस्तुएँ:

- कूड़ा-करकट
- नैप्पियाँ
- चीनी मिट्टी के बर्तन
- मीट और अवशेष भोजन (बैग में बंद या कागज में लिपटे हुए)
- खिड़की का कांच, शीशे, लाइट ग्लोब (सुरक्षा के लिए अच्छी तरह कागज में लिपटे होने चाहिए)
- प्लास्टिक बैग और पोलिस्ट्रिन।

अस्वीकृत वस्तुएँ

- रिसाइकल की जाने वाली वस्तुएं
- गरम राख
- रसायन
- बगीचे के जैविक पदार्थ
- सिरिंज
- तरल पदार्थ
- भवन सामग्री
- ईंटें, मिट्टी या मलबा।

रिसाइकल बिन (नीला ढक्कन)

स्वीकृत वस्तुएँ:

- कांच की बोतलें और जार
- दूध और जूस के कार्टन
- एल्युमीनियम और स्टील के कनस्तर
- एरोसोल और फॉइल
- अखबार और मैगज़ीन
- टूटे हुए गत्ते के डिब्बे और फटे हुए कागज

- प्लास्टिक की बोतलें और डिब्बे।

अस्वीकृत वस्तुएँ

- पोलिस्ट्रिन फोम
- क्रॉकरी
- कांच की प्लेटें, लाइट ग्लोब, कांच के गिलास या शीशे
- बचा हुआ भोजन
- ग्रीन वेस्ट (पौधे इत्यादि)
- घर का कूड़ा
- मुलायम प्लास्टिक (क्लिंग रैप, प्लास्टिक बैग या चिप पैकेट)
- मेडिकल, रसायन या खतरनाक कचरा।

भोजन और बगीचे के जैविक पदार्थों वाला बिन (नींबू के रंग जैसा हरा ढक्कन)

स्वीकृत वस्तुएँ:

- गोश्त और भोजन के बचे-खुचे टुकड़े
- कटी घास और जंगली घास
- टहनियां और छोटी लकड़ियां
- बाग की कतरन
- पत्ते।

अस्वीकृत वस्तुएँ

- प्लास्टिक बैग
- गमले
- सिरिंज
- ईंट या मलबा
- रेत या धूल
- घर का कचरा या बचा हुआ भोजन
- बड़ी लकड़ियां या स्टम्पस
- एक व्यापारिक उद्यम से निकला पदार्थ।

हार्ड वेस्ट और गट्ठर में बांधी हुई टहनियों और छोटी लकड़ियों के लिए संग्रहण सेवा

निवासियों को प्रत्येक वित्त वर्ष में दो बार हार्ड वेस्ट संग्रहण की अनुमति है। आपको हार्ड वेस्ट संग्रहण किए जाने के लिए बाहर रखने से पहले इसकी बुकिंग करनी होगी।

आप अपने संग्रहण को ऑनलाइन या 1300 88 22 33 पर फोन करके बुक कर सकते/सकती हैं।

बुकिंग्स बदली या रद्द नहीं की जा सकती हैं।

हार्ड वेस्ट में स्वीकृत वस्तुएं:

- वाशिंग मशीन, स्टोव, ड्रायर, फ्रिज और फ्रिजर (दरवाजे निकालकर)
- बिजली के उपकरण

- औजार एवं उपकरण
- लान मोवर्स (पैट्रोल और तेल निकाल कर)
- पेंट के खाली डिब्बे (ढक्कन हटा कर)
- गद्दे (अधिकतम 3, अन्य वस्तुओं से अलग रखकर)
- घर का फर्नीचर और रसोई का सामान
- आंतरिक दरवाजे (अधिकतम 3)
- कारपेट और अंडरले
- लकड़ी (10 टुकड़ों तक, बिना कील या स्टेपल के, अधिकतम 1.5 मीटर लम्बे)
- टेबल टॉप या कॉफी टेबल के ऊपर का कांच (सुरक्षित लिपटा हुआ और लेबल लगा हुआ होना चाहिए)

हार्ड वेस्ट में अस्वीकृत वस्तुएं:

- कोई भी ऐसी वस्तु जो 1.5 मीटर से लम्बी हो (गद्दों, लांज़ स्वीट और बड़े फर्नीचर की वस्तुओं को छोड़कर)
- ऐसी वस्तुएं जिन्हें दो लोगों द्वारा नहीं उठाया जा सकता हो
- प्लास्टिक बैग से बाहर रखे आइटम (जिसमें घरेलू कचरा भी शामिल है)
- बगीचे का कचरा
- गैस की बोतलें और आग बुझाने के यंत्र
- भवन का कचरा (जिसमें ईंटें, कंक्रीट, टाइलें, पेवर्स, मलबा, मिट्टी, कंकड़, इन्सुलेशन, सीमेंट की शीटें और प्लास्टरबोर्ड शामिल हैं)
- तरल कचरा, रसायन और खतरनाक कचरा
- पेंट के डिब्बे या तेल के डिब्बे जिनमें तरल भरा हो
- फेंस (बाड़) लगाने का सामग्री (इसमें गेट शामिल हैं)
- वाहनों के हिस्से (जिनमें टायर, पहिए, रिम, बॉडी पैनल, बैटरियां और इंजन शामिल हैं)
- खिड़की का कांच, शीशे और शावर स्क्रीन।

परमिट

बिल्डिंग परमिट

बिल्डिंग परमिट यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका काम विनियमों की पालना करता है।

अधिकांश भवन निर्माण कार्यों, संशोधनों या भवन गिराने से सम्बन्धित कार्यों के लिए परमिट लेने की आवश्यकता होती है। यदि आपके कार्यों के लिए परमिट की आवश्यकता है, तो आपको अपना प्रोजेक्ट शुरू करने से **पहले** काउंसिल से परमिट लेना होगा।

प्रापर्टी पर युनिट बनाना

यदि आप प्रापर्टी पर युनिट बनाना चाहते/चाहती हैं, तो आपके लिए यह ज़रूरी होगा कि आप काउंसिल से परमिट लेने का आवेदन करें।

आप निम्नलिखित देखकर यह जांच कर सकते/सकती हैं कि क्या आपकी प्रापर्टी डिवेल्पमेंट कार्य के लिए उचित है:

- आपकी प्रापर्टी से जुड़े टाइटल प्रतिबंध, ईज़मेंट, कोवनेंट या अनुबंध
- आपकी प्रापर्टी को प्रभावित करने वाले प्लेनिंग ज़ोन और ओवरले।

यदि आपकी प्रापर्टी को डिवेलिप किया जा सकता है, तो हम आपको एक आर्किटेक्ट, ड्राफ्टसपर्सन या योजना परामर्शदाता से सम्पर्क करने का सुझाव देते हैं जो योजना अनुप्रयोगों और डिजाइन प्रक्रिया में आपकी सहायता करते हैं।

अपनी प्रापर्टी की रिपोर्ट डाउनलोड करें:

http://www.land.vic.gov.au

वाहन क्रोसिंग परमिट

जब एक नए वाहन क्रोसिंग (जिसे ड्राइव वे के नाम से भी जाना जाता है) का निर्माण किया जा रहा होता है, उसे स्थानांतरित किया जा रहा होता है या उसमें बदलाव किया जा रहा होता है, तो वाहन क्रोसिंग परमिट की आवश्यकता होती है।

पेड़ों को हटाने का परमिट

Maroondah में अधिकतर प्रापर्टियों में पेड़ सुरक्षा योजना नियंत्रण लागू हैं, जिसका अर्थ है कि पेड़ों या वनवस्पति को अपनी प्रापर्टी से हटाने के लिए आपको परिषद से अनुमति लेने की आवश्यकता है।

इन आवरणों को सिगनिफिकेंट लैंडस्केप ओवरले (SLO) या वेजिटेबल प्रोटेक्शन ओवरले (VPO) कहा जाता है।

आपकी प्रापर्टी SLO या VPO क्षेत्र में आती है या नहीं और पेड़ों को हटाने के लिए परमिट की आवश्यकता है या नहीं, यह जानने के लिए 1300 88 22 33 पर फोन करें।

सैटेलाइट डिश परमिट

यदि आप अपनी प्रापर्टी पर सैटेलाइट डिश लगाना चाहते/चाहती हैं, तो इसके लिए नियम लागू हैं। आप काउंसिल से अनुमति लिए बिना सैटेलाइट डिश लगा सकते हैं यदिः

- सैटेलाइट डिश का घेरा 1.2 मीटर से कम है
- सैटेलाइट डिश का घेरा 1.2 और 2.4 मीटर के बीच है, प्रापर्टी के बाहर से दिखाई नहीं देती है और प्रापर्टी हेरिटेज ओवरले द्वारा संरक्षित नहीं है।

यदि आपकी सैटेलाइट डिश इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है तो आपको काउंसिल से परमिट लेने की आवश्यकता है।

फेंस (बाड़)

फेंस के लिए परमिट

फेंस का निर्माण करने या उसमें बदलाव करने से पहले आपको परमिट के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है, जिसमें घर के सामने की फेंस भी शामिल है। आपको परमिट की आवश्यकता है या नहीं, यह जानने के लिए 1300 88 22 33 पर सम्पर्क करें।

फेंस संबंधी विवाद

काउंसिल *Fences Act* की व्यवस्था **नहीं** करती है। यदि नई फेंस के निर्माण या वर्तमान फेंस के रखरखाव को लेकर आपका अपने पड़ोसी से विवाद है तो आपको एक सॉलिसिटर से सम्पर्क करना चाहिए। नई फेंस के निर्माण की लागत सामान्यतः आपके पड़ोसी के साथ बराबर तौर पर बांटी जानी चाहिए।

स्विमिंग पूल और स्पा की सुरक्षा के लिए फेंस

सभी स्विमिंग पूलों और स्पा के चारों ओर सुरक्षा बाड़ (फेंस) होनी चाहिए, ताकि छोटे बच्चे बिना निगरानी के पानी में प्रवेश न कर सकें।

सुरक्षा बाड़ का अर्थ है फेंस, दीवार, गेट या स्क्रीन और इसमें दरवाजे, गेट, खिड़कियां, ताले, चिटखनियां, कब्जे और उन पर लगे अपने आप बंद होने वाले उपकरण शामिल हैं।

सभी स्विमिंग पूलों और स्पा सुरक्षा बाड़ों के निर्माण और उनमें किए जाने वाले बदलावों के लिए एक बिल्डिंग परमिट की आवश्यकता है।

काउंसिल हर वर्ष स्विमिंग पूलों और स्पा का निरीक्षण करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनके चारों ओर सुरक्षा बाड़ है।

यदि आप अपने पूल या स्पा के चारों ओर सुरक्षा बाड़ लगाने से इनकार करते/करती हैं, तो जुर्माने लागू हो सकते हैं।

https://www.maroondah.vic.gov.au/Residents-property/Swimming-pool-and-spa-registration-and-fencing-compliance-requirements

घर से किसी व्यापार का संचालन करना

यदि आप घर से किसी व्यापार का संचालन कर रहे/रही हैं, तो हो सकता है कि आपको काउंसिल से किसी प्लेनिंग परमिट की ज़रूरत हो।

जल निकासी और तूफान से आने वाला पानी

कोई भी निकास (और इन निकासों का रखरखाव) जो आपकी प्रापर्टी की सीमाओं के अंतर्गत आता है, उसकी जिम्मेदारी निवासी की होती है। काउंसिल यह सुझाव देती है कि किसी भी गैर-सरकारी निकास या प्लम्बिंग संबंधी कार्यों के लिए आपको एक लाइसेंसधारी पलम्बर का प्रयोग करना चाहिए।

कानूनी प्रवेशाधिकार से निकास की जिम्मेदारी काउंसिल की है। कानूनी प्रवेशाधिकार का स्थान वह होता है जहां पानी आपकी प्रापर्टी से निकल कर गटर में जाता है। सड़कों, निकास और सर्विस पिट्स, ढक्कनों और जालियों के साथ साथ और उनके नीचे से गुजरने वाले तूफान से आने वाले कुछ जल की जिम्मेदारी भी काउंसिल की होती है।

काउंसिल के अधिकारी यह जानने में आपकी सहायता कर सकते हैं कि निकास के लिए कौन जिम्मेदार है। काउंसिल के ड्रेनेज इंजिनियर निवासियों को Maroondah में जलनिकासी प्रणालियों की प्रतियां प्रदान कर सकते हैं ताकि आप काउंसिल की जलनिकासी की जिम्मेदारियों को पहचान सकें।

निकास और तूफान से आने वाले पानी से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसिज़ को 9298 4292 पर फोन करें।

बाढ़ की रोकथाम करना

आप अपने जल-निकास प्रणाली का रखरखाव करने और समुदाय को बाढ़ से बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठा के सहायता कर सकते/सकती हैं:

- अपने गटरों को नियमित रूप से साफ करना और उनमें होने वाले रिसाव की जांच करना

- पत्तों और अन्य कूड़े को तूफानी पानी के निकास न बहाने की कोशिश करना
- अनुचित पदार्थ जैसे खाना पकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली वसाओं और तेल को तूफानी जल के निकास न बहाना सुनिश्चित करना

यदि सड़कों पर बहने वाले पानी या तूफानी जल के निकास के संबंध में आपकी कोई चिंताएँ हैं, तो कृपया काउंसिल के रखरखाव विभाग को 9294 5666 पर फोन करें।